भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3091
उत्तर देने की तारीख 08 अगस्त, 2023
17 श्रावण, 1945 (शक)

खेल कोटे के अंतर्गत सरकारी नौकरी

3091. श्रीमती नुसरत जहां:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खेल कोटे के अंतर्गत विभिन्न सरकारी नौकरियों में विभाग-वार कुल कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार के पास इन रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए कोई कार्ययोजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नौकरियों में खेल कोटे में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ङ) : खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03.10.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं 14034/01/2013-स्थापना(डी) द्वारा जारी समेकित अनुदेशों के तहत खेल कोटा के अंतर्गत आरक्षण दिया जाता है । विद्यमान अनुदेशों के अनुसार विभिन्न मंत्रालय और विभाग किसी भी वर्ष के लिए सीधी भर्ती रिक्तियों में से भारत सरकार के समूह 'ग' के पांच प्रतिशत रिक्त पदों पर मेधावी खिलाड़ियों की नियुक्ति कर सकते हैं । तथापि, यह मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई भर्ती से संबंधित आंकड़े नहीं रखता है ।

****